राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
फोन नं. 0141–2708824, 2256670

क्रमांकः परीक्षा / पु.मू. / 2026 / 1678 दिनांक : 07.09.2026

## विद्यार्थियों हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दूरभाष एवं सोशल मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन में प्राप्तांक बढ़वाने व उत्तीर्ण करवाने का झांसा देकर छलपूर्वक रूपयों की मांग की जा रही है। इस प्रकार की कुत्सित गतिविधियों से विश्वविद्यालय की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो रहा है।

अतः किसी व्यक्ति द्वारा छलपूर्वक अनुचित तरीके से प्राप्तांक बढ़वाने अथवा उत्तीर्ण करवाने सम्बन्धी झांसे / धोखे में नहीं आवे एवं सतर्क रहते हुए इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की जानकारी होने पर तत्काल नजदीकी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज करावें। साथ ही उसकी सूचना तुरन्त परीक्षा नियंत्रक कार्यालय अथवा मुख्य कुलानुशासक कार्यालय में भेजकर विश्वविद्यालय का सहयोग करें।

–sd–
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः परीक्षा / पु.मू. / 2026 / 1679–1690 दिनांकः 07.09.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3 समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालय, जयपुर।
4 निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5 वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6 जन संपर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7 उप कुलसचिव, सामान्य प्रशासन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आवश्यक सूचना को विश्वविद्यालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर प्रसारित करवाने का श्रम करावें।
8 वरिष्ठ निजी सचिव, कुलगुरू / कुलसचिव, राजरथान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9 रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी
(पुनर्मूल्यांकन)